



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/SER-1982/MRLY/6/2025-RU-IV

दिनांक 28.01.2026

सेवा मे,

महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे
महाप्रबंधक कार्यालय,
पश्चिम मध्य रेलवे
जबलपुर (मध्य प्रदेश) पिन - 482001
ईमेल: gm@wcr.railnet.gov.in

विषय: पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मण्डल में वाणिज्य निरीक्षक कॉडर के पुनर्गठन / पदोन्नति में अनियमितता के संबंध में -
श्री संतोष कुमार मीणा, बी-66, नार्थ एक्स टाउनशिप, सोगरिया रेलवे स्टेशन के पास, कोटा, राजस्थान का पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)

उप सचिव / Deputy Secretary

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री संतोष कुमार मीणा,
बी-66, नार्थ एक्स टाउनशिप,
सोगरिया रेलवे स्टेशन के पास,
कोटा, राजस्थान - 324002,
santoshaditimeena@gmail.com
Mobile No: 8602065008 -

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या. NCST/SER-1982/MRLY/06/2025-RU-IV

अभ्यावेदक श्री संतोष कुमार मीणा द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मण्डल में वाणिज्य निरीक्षक कैडर के पुनर्गठन/पदोन्नति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 08.08.2024 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर दिनांक 02.12.2025 को अपराह्न 14:50 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में सुनवाई आयोजित की गई, जिसका कार्यवृत्त निम्नानुसार है।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 02.12.2025 को 02:50 बजे अपराह्न

सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

श्री संतोष कुमार मीणा, कोटा (राजस्थान) द्वारा दिनांक 08.08.2024 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मण्डल में वाणिज्य निरीक्षक कैडर के पुनर्गठन/पदोन्नति में कथित अनियमितताओं के संबंध में आयोग का ध्यान आकृष्ट किया है। अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोटा मण्डल के कार्मिक विभाग द्वारा जानबूझकर की गई गणना में त्रुटि के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को लेवल-8 (ग्रेड पे ₹4800/-) का लाभ नहीं मिल पाया। उक्त संबंध में आयोग द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (मध्यप्रदेश) को सिटिंग नोटिस प्रेषित किया गया था।

2. आयोग द्वारा दिनांक 06.03.2025 को निर्गत नोटिस के माध्यम से महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (मध्यप्रदेश) से विषय से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। संबंधित कार्यालय द्वारा दिनांक 25.03.2025 के पत्र के माध्यम से वांछित सूचना आयोग को उपलब्ध कराई गई। तत्पश्चात् आवेदक श्री संतोष कुमार मीणा द्वारा दिनांक 26.06.2025 को प्रस्तुत प्रत्युत्तर के माध्यम से पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर से प्राप्त उत्तर पर असंतोष व्यक्त किया गया। आयोग द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (मध्यप्रदेश) से प्राप्त उत्तर तथा उस पर आवेदक से प्राप्त प्रत्युत्तर पर विचारोपरांत दिनांक 20.11.2025 को सिटिंग नोटिस निर्गत कर दिनांक 02.12.2025 को मामले की सुनवाई सुनिश्चित की गई।

3. आयोग की सुनवाई में DRM, कोटा, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर व् प्रार्थी उपस्थित रहे

4. सुनवाई में DRM, कोटा ने पूर्व में प्रेषित जवाब दिनांक 28.11.2025 का उल्लेख किया तथा बताया की रेलवे में किसी बभी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तथा प्रार्थी के विषय में रेलवे द्वारा जाँच की जा रही है तथा साथ ही रेलवे के जवाब को विस्तृत से व्याख्या कर प्रस्तुत किया

आशा लकड़ा

5. प्रार्थी ने बताया की कोटा मंडल में वाणिज्य निरीक्षक कैडर में कुल 24 पद हैं, दिनांक 15.02.2023 को कार्मिक शाखा, कोटा मंडल द्वारा जारी किए गए पत्रांक- DRM(P) कोटा का पत्रांक ईसी/1026/1/CTI/CMI UPGRADATION GP-4800 के द्वारा वाणिज्य निरीक्षक का कैडर का पुनर्गठन करते समय केवल 07 पद लेवल-8 (जीपी 4800/-) में पदोन्नत किए जबकि रेलवे बोर्ड पत्रांक PC-II/2013/CRC/4 दिनांक 08.10.2013 एवं PC-VIII/2019/RSRP/3 दिनांक 17.11.2022 के अनुसार 09 पद लेवल-8 (जीपी-4800/-) में पदोन्नत किए जाने थे, इस प्रकार 24 पद की जगह 20 पद मानकर ही रेलवे बोर्ड पत्रांक PC-VIII/2019/RSRP/3 दिनांक 17.11.2022 को लागू कर दिया गया जबकि कोटा मंडल में वाणिज्य निरीक्षक कैडर में कुल 24 पद थे। तथा बार बार मामले को लांबित कर प्रार्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है

6. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

- I. अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बरती जाए। साथ ही, पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय द्वारा वर्ष 2021 एवं 2023 में जारी नीतिगत निर्देशों की व्यापक समीक्षा (Comprehensive Review) कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएं।
- II. रेलवे बोर्ड के पत्रांक PC-II/2013/CRC/4 दिनांक 08.10.2013 एवं PC-VIII/2019/RSRP/3 दिनांक 17.11.2022 तथा पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय द्वारा जारी संबंधित स्पष्टीकरण को पूर्णतः एवं यथावत लागू किया जाए और DCMI में पदों के अपग्रेडेशन को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जाए।
- III. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर द्वारा कोटा मंडल में वाणिज्य निरीक्षक कैडर के पुनर्गठन/अपग्रेडेशन से संबंधित पदों का व्यापक पुनरीक्षण (Comprehensive Review) अविलंब कराया जाए तथा समीक्षा के निष्कर्षों सहित अनुपालन रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।
- IV. मामले में कृत कार्यवाही कर 30 दिवस में आयोग को प्रेषित की जाए

आशा लकड़ा
23/01/2026
(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1982/MRLY/6/2025-RU-IV

Sitting to be held on **02.12.2025** at **02.50 P.M.** - पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मण्डल में वाणिज्य निरीक्षक कॉर्डर के पुनर्गठन / पदोन्नति में अनियमितता के संबंध में - श्री संतोष कुमार मीणा, बी-66, नार्थ एक्स टाउनशिप, सोगरिया रेलवे स्टेशन के पास, कोटा, राजस्थान का पत्र।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member'	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	Officers from O/o General Manager, West Central Railway, Jabalpur		
1.	Anil katra DRM, Kota	DRM office Kota 9001017000	Anil
2.	SURAJ KATH Sr DPO / Kota	DRM office Kota 9001017600	Suraj
3.			
4.			
5.			
6.			
III	Petitioners		
1.	संतोष कुमार मीणा	CMZ / Kota 8602015008	
2.			